JSPDA 3/9/14

797 03/09/2014

संख्याः 1102/XXIV-3/14/02(93)2014

प्रेषक,

एस0 राजू,
अपर मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड देहरादून।

SPD RMSA अवलोकनार्थ

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3 देहरादून, दिनांकः 3 सितम्बर 2014

विषयः राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर पर शासकीय विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा के ज्ञान हेतु 'उन्नति' कार्यक्रम का संचालन एवं कियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांकः रा0मा0शि0अ0/1595/289-उन्नति (टी0सी0)/2014-15 दिनांकः 21 अगस्त, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कार्यकम के तहत प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की योजना के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर पर शासकीय विद्यालयों में कक्षा-09 व 10 के छात्र/छात्राओं को 03 माह की अवधि में विद्यालय अवधि से पूर्व अथवा बाद में अंग्रेजी भाषा (Spoken English) का व्यावहारिक ज्ञान पुस्तकें, श्रव्य दृश्य सामग्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए नवाचारी कार्यक्रम 'उन्नति' का संचालन एवं कियान्वयन हेतु राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर निम्नवत् समिति गठित कर निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन योजना के संचालन की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1- योजना का कियान्वयन एवं संबंधित व्यय रमसा के दिशा-निर्देशों एवं पी0ए0बी0 में वार्षिक मदवार अनुमोदित व्ययभार के अधीन किया जायेगा।

2-उक्त कार्यकम के अन्तर्गत प्रथम चरण में प्रदेश के सुगम क्षेत्र के कुल 250 विद्यालय एवं दुर्गम/अति दुर्गम क्षेत्र के कुल 500 विद्यालय आच्छादित किये जायेंगे।

3- उक्त कार्यकम के प्रभावी संचालन हेतु संलग्न Request for Proposal (RFP) व Draft Service Agreement (DSA) की प्रदत्त शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुरूप संस्था/बिडर का चयन की कार्यवाही की जायेगी।

4- उक्तानुसार RFP में Quality & Cost Based Selection (QCBS) के अनुसार निविदा आमंत्रित कर तकनीकी तथा वित्तीय बिडों के आधार पर संस्था का चयन किया जायेगा।

5- चयनित संस्था के द्वारा RFP में उल्लिखित समस्त कार्य किये जायेंगे, जो प्रमुखतया निम्नलिखित होंगें:-

(i) चयनित विद्यालयों के समस्त छात्र-छात्राओं का परियोजना पूर्व मूल्यांकन।
(ii) चयनित विद्यालयों में निर्धारित योग्यता के अनुदेशकों की तैनाती।
(iii) छात्र-छात्राओं को पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध कराना।

कमशः-2

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
डिस्पैच
पत्रांक 9530
दिनांक 5/9/14
राज्य परियोजना कार्यालय, देहरादून

(iv) 03 माह तक RFP में उल्लिखित कार्यक्रम के उद्देश्यों तथा पाठ्यक्रम के अनुरूप व्यावहारिक अंग्रेजी का शिक्षण कार्य प्रदान करना।

(v) छात्र–छात्राओं के साथ–साथ अंग्रेजी विषय के अध्यापकों को भी प्रशिक्षित किया जायेगा।

(vi) 03 माह पश्चात छात्र–छात्राओं का अंतिम मूल्यांकन में सहयोग करना।

(vii) कार्यक्रम का विद्यालय स्तर पर नियमित अनुश्रवण करना।

2– इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए राज्य परियोजना कार्यालय स्तर एवं जनपद स्तर पर निम्नवत् समितियों का गठन किया जायेगाः–

(अ) राज्य स्तरीय समितिः–

| | |
|---|---|
| राज्य परियोजना निदेशक, रमसा | – अध्यक्ष |
| निदेशक, माध्यमिक शिक्षा | – सदस्य |
| अपर राज्य परियोजना निदेशक, रमसा | – सदस्य |
| संयुक्त राज्य परियोजना निदेशक, अकादमिक, रमसा | – सदस्य |
| संयुक्त निदेशक, महानिदेशालय | – सदस्य |

(ब) जनपद स्तरीय समितिः–

| | |
|---|---|
| जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो अपर जिलाधिकारी स्तर से कम न हो | – अध्यक्ष |
| मुख्य शिक्षा अधिकारी | – सदस्य |
| प्राचार्य, डायट | – सदस्य |
| जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक | – सदस्य |
| मुख्य कोषाधिकारी | – सदस्य |

3– उपरोक्तानुसार गठित समिति राज्य परियोजना निदेशक, रमसा द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 की व्यवस्थानुसार प्रकिया अपनाते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

4– उक्त योजनान्तर्गत समस्त प्रकार का वहन संगत वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक में अनुदान संख्याः 11 के अधीन लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा, 02–माध्यमिक शिक्षा, 800–अन्य व्यय, 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाऐं, 0109–राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (75%के0स0) की मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 128(P)/XXVII(3)2014-15 दिनांकः 02 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 राजू)
अपर मुख्य सचिव।

क्रमशः 3

पृष्ठांकन संख्याः 1102/XXIV-3/14/02(93)2014 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– अवर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

3– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

4– अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

5– राज्य परियोजना निदेशक, रमसा, उत्तराखण्ड, देहरादून

6– निदेशक माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।

7– निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून, उत्तराखण्ड।

8– अपर निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।

9– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

10–समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

11–समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

12–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।

13–वित्त नियत्रंक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

14–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ब्योमकेश दूबे)
अनु सचिव